

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं  
(राज.)




मिसल नम्बर:-73/2022

किस्म प्रार्थना-पत्र:- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

बाबुलाल सैनी पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद जाति माली निवासी कांकरिया तह. खेतड़ी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.)खेतड़ी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.03.22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1866 दिनांक 11.03.2022 के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।</p> <p>—:आदेश:—</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 हाल खाता संख्या 41 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि जगुराम पुत्र लादु के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र लादु दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। भूमि पर रहन यदि कोई हो तो, रहन मुक्त होने पर ही आदेश की पालना हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ़्तर हो।</p> <p>आदेश आज दिनांक 16.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <div style="text-align: center;">               (जय सिंह)              आर.ए.एस.              उपखण्ड अधिकारी एवं              पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी              उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी         </div> <div style="text-align: center;">  </div> <p>नोट:- आदेश की लिखी लाइन में हाल खाला सं. 41 के स्थान पर 432 पढ़ा जाय।</p> <div style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी              एवं पदेन सहायक कलक्टर              खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)              07-04-2022         </div>	